भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2179
जिसका उत्तर बुधवार, 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है

अधिवक्ताओं हेतु कल्याण योजना

2179. श्री कौशल किशोर :

श्री उपेन्द्र सिंह रावत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिवक्ताओं के लाभ के लिए विशेषकर उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्य बार काउंसिल और अखिल भारतीय बार काउंसिल द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन योजनाओं को किस प्रकार वित्त पोषित किया जा रहा है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : अखिल भारतीय विधिज्ञ परिषद् में एक अधिवक्ता कल्याण निधि है और सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों में भी एक अधिवक्ता कल्याण निधि है। सभी अधिवक्ता नामांकन के समय या उसके पश्चात् अधिवक्ता कल्याण निधि की सदस्यता के लिए अंशदान की रकम का भुगतान करते हैं जिसका बाद में भारतीय विधिज्ञ परिषद् और राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा, जब कभी कल्याण के लिए आवेदन उसके समक्ष रखे जाते है /भरे जाते हैं, तो उन पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् उपयोग किया जाता है। आमतौर पर कल्याण निधि का उपयोग चिकित्सीय मुद्दों के लिए और /या किसी अन्य आकस्मिक मुद्दे के लिए किया जाता है और इस संबंध में सामान्य रूप से 20,000/- रुपए से लेकर 50,000/-रुपए तक की रकम संदत्त की जाती है। इसके अतिरिक्त ,यदि परिस्थिति की मांग हो तो 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की उच्चतर रकम, परिषद् के पूर्ण बहुमत के विनिश्चय के अध्यधीन, भी दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विधिज्ञ परिषद् प्राप्त फीस का उपयोग कालेज के अनुमोदन के प्रयोजन के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य विधिज्ञ परिषदों ने राज्य विधिज्ञ के अध्यक्ष/महाधिवक्ता की अध्यक्षता के अधीन अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति के नाम में भी एक निधि का सृजन किया है।

****